अपमा ®

AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION (Regd.)

Estd. 1965

WWW.APMA.BIZ

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–18 / 117 दिनांक : 10 जुलाई, 2017

''कानून व्यवस्था व सुरक्षा के सन्दर्भ में''

सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि शनिवार दिनांक 8–7–2017 को कानून व्यवस्था व सुरक्षा के विषय पर चर्चा हेतु ''नेशनल क्लब'' रेलवे स्टेशन के सामने एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुरानी दिल्ली के सभी थानाध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में दिल्ली की विभिन्न–विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अपमा की तरफ से प्रधान श्री आर.के. गुप्ता जी के नेतृत्व में महासचिव श्री विष्णु भागर्व जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विनय नारंग जी ने भाग लिया।

बैठक में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व व आतंकवादी संगठन पुरानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की योजना बना सकते हैं। आपकी जरा सी लापरवाही आपके सभी साथियों व दुकानदारों तथा आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम सभी मिलकर उनके नापाक इरादों को सफल न होने दें। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने कुछ हिदायतें जारी की गइ हैं, जिनका पालन करना सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यापारियों के लिए हितकर होगा।

- यदि कोई व्यक्ति लावारिस सामान रखता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाये।
- दुकानदार लावारिस पड़े माल को हाथ न लगायें, उसे छुऐं नहीं, उससे दूर रहें और इस तरह के सामान का छोड़कर जाने वाले व्यक्ति को पकड़वाने में पुलिस की मदद करें।
- आप अपनी दुकान के आगे पेटियां या अन्य सामान न रखें ना किसी को रखने दें, हो सकता है कोई इनमें विस्फोटक पदार्थ छुपा दें।
- किसी भी अनजान व्यक्ति के सामान की जिम्मेदारी न लें, उसमें बम हो सकता है।
- अपनी दुकान के सामने वाहन खड़ा न करें और न किसी को वाहन खड़ा करने दें।
- बस में या किसी अन्य वाहन में या सड़क पर पड़ी किसी लावारिस वस्तु को न छुऐं, हो सकता है, उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ हो।
- यदि कोई व्यक्ति अपना सामान छोड़कर जाता दिखाई दे तो उसे रूकने के लिये कहें, न रूके तो निगाह रखें और पुलिस को सूचित करें।
- आपकी सतर्कता और आपकी सूचना किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोक सकती है। अपना और अपने पड़ौसियों का ध्यान रखें।
- यदि कोई भी वाहन लावारिस दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरन्त पी.सी.आर. वैन अथवा 100 नम्बर पर या टेलीफोन नम्बर 23968730, पर थाना कश्मीरी गेट, से सम्पर्क करें।

(विष्णु भार्गव)

महासचिव